-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2022 में थाना बबेरु क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 13 हजार 500 रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 08.04.2022 को थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम निभौर के रहने वाले अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र सीताराम केवट द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस सम्बन्ध में पीड़िता की माँ की तहरीर पर थाना बबेरु पर **मु0अ0सं0 100/2022 धारा 452/354/352/376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना **निरीक्षक श्री जयप्रकाश उपाध्याय** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। **लोक अभियोजक श्री शिवपूजन सिंह** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव दिवाकर तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी** के अथक प्रयासों से अभियुक्त को **मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 13 हजार 500 रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **राजेश कुमार पुत्र सीताराम केवट निवासी सूखा तालाब, निभौर थाना बबेरु जनपद बांदा।**